2 F + 1 M

EPISODE - 56

DOB - 9-1-2022

Ministry of Social Justice & Empowerment

(Govt. of India)

(REVISED AS DIRECTED)

(P-1 to 5)

रेडियो कार्यक्रमः

संवरती जाएँ, जीवन की राहें

Duration: 10 Minutes

Script No.: AAK/SJJR/PM DAKSH YOJANA/37/2021-22

विषय : समाज के हाशिये पर रह रहे वर्गों यानि समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों

के कौशल विकास के लिए 'प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न

हितग्राही योजना' (पी.एम दक्ष)

Subject : Pradhan Mantri Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi (PM DAKSH)

Yojana for upgrading the skills of the marginalized sections of society)

ik= ifjp;

- रवि (उदघोषक)
- 2) पूजा (उदघोषिका)
- 3) बरखा (लाभार्थी)
- 4) हेमा (बरखा की जानकार)

संवरती जायें जीवन की राहें

विषय: समाज के हाशिये पर रह रहे वर्गों यानि समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों के कौशल विकास के लिए 'प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही योजना' (पी.एम दक्ष)

(जिंगल : कोई मंज़िल नहीं है मुश्किल, गर वक्त से क़दम मिलायें...)

रवि : नमस्कार श्रोता भाइयो और बहनों। हम आपके लिए लेकर आये हैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय और

अधिकारिता विभाग का रेडियो कार्यक्रम ''संवरती जायें जीवन की राहें''

पूजा : भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग समाज का कल्याण और अधिकारिता सुनिश्चित

करने के लिए अनेक योजनायें और कार्यक्रम चला रहा है।

रवि : ''संवरती जायें जीवन की राहें'' कार्यक्रम के माध्यम से हम इन विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की

जानकारी देते हैं ताकि लक्षित वर्ग इनका लाभ उठा कर अपना जीवन संवारें और बेहतर भविष्य की राह

पर कुदम बढ़ायें।

पूजा : तो आज जिस योजना की जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो है समाज के हाशिये पर रह रहे वर्गों

यानि समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों के कौशल विकास के लिए 'प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न

हितग्राही योजना' यानि *पी.एम दक्ष योजना ।*

रवि : भई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो चिलये शुरू करते हैं कार्यक्रम ''संवरती जायें जीवन की राहें''।

Title Signature Tune: 'संवरती जायें जीवन की राहें'

रवि : मैं हूं रवि....

पूजा : और मेरा नाम है पूजा....

रवि : भाइयो और बहनों, समाज के जो वर्ग सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से हाशिये पर हैं उनके

आर्थिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक उत्थान के लिए उन्हें कौशल विकास का अवसर और सुविधा

उपलब्ध कराते हुए रोज़गार के प्रेरित किया जा रहा है।

पूजा : हाशिये पर रह रहे वर्गों में शामिल हैं अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग,

गैर-अधिसूचित घुमन्तु तथा अर्ध घुमन्तु जनजाति, सफ़ाई कर्मचारी और कचरा बीनने वाले व्यक्ति आदि।

पूजा : तो इन लोगों के लिए कौशल विकास और दक्षता में वृद्धि के लिए 'प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता

सम्पन्न हितग्राही योजना...यानि पीएम दक्ष योजना आरंभ की गई है और आज हम इसी योजना के बारे में

बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं एक गीत....

(फिल्मी गीत न०-1)

रवि : भाइयो और बहनों, अब हम सुनते हैं पीएम दक्ष योजना से संबंधित आज की कहानी...

(संगीत)

बरखा : वाह दीदी, आपके सूट की फिटिंग बिल्कुल ठीक आई है...

हेमा : हां बरखा...बहुत अच्छा सूट सिला तुमने। फिटिंग एकदम सही और डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है। मैं तो

कहती हूं तुम्हें अपना टेलरिंग का काम बढ़ाना चाहिए।

AAK/SJJR/PM-DAKSH YOJANA/37/2021-22

बरखा : हां दीदी अभी तो घर से ही काम शुरू किया है। अगर काम चल गया तो टेलर की दुकान खोलने का मन है।

हेमा : सच में तुम्हारी सिलाई बहुत अच्छी है। कहां से ली कपड़े सिलने की ट्रेनिंग?

बरखा : थोड़ी बहुत सिलाई तो मैं पहले से ही जानती थी लेकिन पीएम दक्ष योजना की मदद से मुझे कपड़े सिलने

का बाकायदा प्रशिक्षण मिला और अब मैं हर तरह का कपड़ा सिल सकती हूं।

हेमा : अच्छा। और तुम्हारे पित तो शहर में कहीं काम करते हैं न?

बरखा : हां पहले शहर में एक फर्निचर की दुकान में बढ़ई का काम करते थे पर अब तो गांव में ही फर्निचर बनाने

की दुकान खोल ली है।

हेमा : अरे वाह! पर ये कैसे संभव हुआ बरखा?

बरखा : वही पीएम दक्ष योजना की मदद से बढ़ई के काम की ट्रेनिंग लेकर फर्निचर बनाना सीखा और एक सरकारी

वित्तीय संस्था से लोन लेकर अपनी दुकान डाल दी।

हेमा : बहुत अच्छी बात है। लेकिन बरखा, ये पीएम दक्ष योजना क्या है...जुरा बताओ तो इसके बारे में?

बरखा : दीदी, इस योजना का पूरा नाम है 'प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही योजना'। ये हमारे जैसे

गांव में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। मतलब ...जो कारीगर हैं, शिल्पकार या मिस्त्री

का कुछ काम जानते हैं। और आपको तो पता है आजके जुमाने में नई नई तकनीकें आ गई हैं...

हेमा : हां नई टैकनॉलॉजी आ गई है...बिल्कुल...

बरखा : तो इन लोगों के काम की मांग लगभग खत्म हो गई है। एक तरह से ये लोग हाशिये पर चले गये हैं।

और हमारी जैसी महिलाओं को गांव में काम कैसे मिले? हम तो गांव-घर छोड़ कर शहर काम ढूंढ़ने नहीं जा पातीं। इसी तरह दूसरे लोग हैं जैसे कचरा बीनने वाले या सफाई कर्मचारी...उनके पास काम नहीं है

और सब हाशिये पर हैं।

हेमा : इसीलिए तो मैंने पूछा के ये कैसे संभव हुआ?

बरखा : बस पीएम दक्ष योजना से मदद मिली। हमारे कच्चे-पक्के हुनर को और अच्छा बनाने के लिए ही ये

योजना शुरू की गई है। मेरे पित ने ही बताया था कि ये योजना साल 2020-21 में शुरू की गई थी और साल 2021-22 से पांच वर्षों के लिए चलाई जा रही है और हमारे जैसे लाखों लोगों के हुनर को निखारने

के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

हेमा : तुम्हारा मतलब इन लोगों के कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाये जा रहे हैं?

बरखा : हां दीदी यही। और मालूम...कई श्रेणियां हैं जिनमें प्रशिक्षण दिया जाता है। एक तो वो लोग जो पहले से

थोड़ा बहुत हुनर या कौशल जानते हैं तो प्रशिक्षण दे कर उनके हुनर को बढ़ाया जाता है।

हेमा : यानि Up-skilling and Re-skilling....हां मुझे याद आ रहा है इसके बारे में मैने कहीं पढ़ा है। तो इस

श्रेणी में कौन कौन लोग आते हैं...मतलब...लक्षित वर्ग कौन कौन से हैं?

बरखा : इसमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी यानि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, डीएनटी समुदायों के

हाशिये पर रह रहे कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, लोहे का काम करने वाले आदि...और सफ़ाई कर्मचारी, कचरा

बीनने वाले, कचरा छांटने वाले लोग और उन पर आश्रित लोग शामिल हैं।

हेमा : बरखा, प्रशिक्षण यानि ट्रेनिंग के लिए दूर किसी सेंटर वगैरह में जाना पड़ता होगा?

AAK/SJJR/PM-DAKSH YOJANA/37/2021-22

बरखा : बिल्कुल नहीं दीदी। पीएम दक्ष योजना की विशेषता है कि जो जहां रहता है वहीं उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था

की जाती है। इसमें ऐसा होता है कि प्रशिक्षण देने वाले वर्क लोकेशन पर खुद इनसे सम्पर्क करते हैं।

हेमा : ये तो अच्छा है। और ट्रेनिंग कितने समय तक चलती है?

बरखा : बत्तीस से अस्सी घण्टे की ट्रेनिंग होती है और एक महीने में ही पूरी हो जाती है।

हेमा : बरखा, तुमने कपड़े सिलने की ट्रेनिंग ली और तुम्हारे पित ने फर्निचर बनाना सीखा...तो ये काम कौन सी

श्रेणी में आते हैं?

बरखा : ये दूसरी श्रेणी में आते हैं दीदी। इसे कहते हैं लघु अवधि पाठ्यक्रम और इनमें स्वरोजगार पर विशेष बल

दिया जाता है।

हेमा : और इसके लक्षित वर्ग कौन-कौन से हैं?

बरखा : अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, डीएनटी, सफाई कर्मचारी और कचरा बीनने वाले जो बेरोज़गार

हैं, बिल्कुल अनपढ़ हैं या कम पढ़े-लिखे हैं।

हेमा : हूं...तो इन लोगों को किस काम की ट्रेनिंग दी जाती है और कितने समय तक?

बरखा : वो काम जिनसे स्वरोजगार किया जा सके जैसे कपड़े सिलने का प्रशिक्षण, फर्नीचर बनाने की ट्रेनिंग, खाद्य

प्रसंस्करण, कालीन बुनाई, ब्यूटिश्यिन का कोर्स, लैदर वर्क, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, आदि। ये ट्रेनिंग दो सौ

घण्टों से लेकर छः सौ घण्टे तक की होती है।

हेमा : लगभग पांच महीने तक।

बरखा : जी दीदी। इनके अलावा प्रशिक्षण की और भी दो श्रेणियां हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम और लम्बी अवधि

के पाउयक्रम। और बढ़िया बात ये है दीदी कि अलग अलग कोर्स के हिसाब से ट्रेनिंग लेने वालों को

वजीफा भी दिया जाता है।

हेमा : बरखा, मुझे ये सब जान कर बहुत खुशी हो रही है कि तुम पीएम दक्ष योजना की मदद से अपने पांव

पर खड़ी हो रही हो और तुम्हारे पित का भी अपना व्यवसाय हो गया है। मैं भी ज़रूरतमंद लोगों को इस

योजना के बारे में बताऊँगी।

बरखा : बहुत अच्छा करेंगी दीदी।

हेमा : और तुम्हें मेरी शुभकामनायें कि तुम जल्दी से जल्दी अपनी टेलरिंग की दुकान खोल सको।

बरखा : धन्यवाद दीदी।

(संगीत)

रवि : श्रोता भाइयो और बहनों, पीएम दक्ष योजना का उद्देदश्य है हाशिये पर रह रहे व्यक्तियों का सशक्तिकरण

और उत्थान करना। इस योजना के तहत प्रशिक्षण के प्रकार के हिसाब से एनएसएफडीसी.

एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी द्वारा Re-skilling संबंधित प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं।

पूजा : और प्रशिक्षण ले चुके व्यक्ति संबंधित वित्तीय संस्थाओं से स्वरोज़गार आदि के लिए लोन भी ले सकते हैं।

रवि : और अब बारी है एक और गीत सुनने की....

(फिल्मी गीत न०-2)

AAK/SJJR/PM-DAKSH YOJANA/37/2021-22

उद्घोषक : भाइयो और बहनों, आज हमनें जाना 'प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही योजना...यानि

पी.एम दक्ष योजना के बारे में...

उदुघोषिका : इस योजना के बारे में पूरी जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट

www.socialjustice.nic.in से भी प्राप्त की जा सकती है।

उद्घोषक : भाइयो और बहनों, इस कार्यक्रम के बारे में यदि आपके कोई सुझाव हों या इस योजना से संबंधित कोई

जानकारी लेना चाहते हों तो इस पते पर अवश्य लिखें —

वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग बी—2, भूतल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली — 110003

दूरभाष : 011-24369835

उद्घोषिका : और अब बात करते हैं इनामी प्रश्न की। जिसका सही उत्तर हमें प्रतियोगिता पोस्टकार्ड या ई.मेल पर

भेजकर आप जीत सकते हैं 200 रूपये का नकद इनाम। और हां श्रोता भाइयो और बहनो, ऐपिसोड नम्बर

और मोबाईल नम्बर लिखना ना भूलें। उत्तर हमें एक सप्ताह के अंदर मिल जाना चाहिए।

उद्घोषक : तो नोट करें आज के ऐपिसोड नम्बर 56 का इनामी प्रश्न।

प्रश्न है :- बरखा ने किस काम का प्रशिक्षण लिया था?

उदघोषक : प्रश्न एक बार फिर : बरखा ने किस काम का प्रशिक्षण लिया था?

उद्घोषिका : अपने उत्तर हमें इस पते पर भेजें -

संवरती जाएं जीवन की राहें

ऐपिसोड नम्बर - 56

पोस्ट बॉक्स नम्बर : 3565

नई दिल्ली -110024

आप अपने उत्तर ई-मेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ई—मेल आई.डी. है - radiosjjr2021@gmail.com

उदघोषक : दोस्तो, आपको याद दिला दें कि आप यह दिलचस्प और उपयोगी कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक

न्याय और अधिकारिता विभाग यानि Department of Social Justice & Empowerment के सौजन्य

से सुन रहे थे।

उद्घोषिका : इसी के साथ हमारी आज की कड़ी यहीं संपन्न होती है।

उद्घोषक : आपसे फिर मिलेंगे एक नयी कड़ी....और नयी जानकारियों के साथ...

दोनों : नमस्कार ।

--- Closing Title Signature Tune---